रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221792
CG-DL-E-17092020-221792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2833] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942
No. 2833] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

सं. 32/2015–2020

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 85 और 94 में नीतिगत शर्त शामिल करना।

का.आ. 3181(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 85 और 94 में एक नई नीतिगत शर्त जोड़ती है।

2. एक नई नीतिगत शर्त को आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 85 में नीतिगत शर्त सं. 7 और अध्याय 94 में नीतिगत शर्त सं. 1 के रूप में जोड़ा जाता हैः

"इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2012" के तहत यथा अधिसूचित एलईडी उत्पादों और एलईडी माड्यूल्स हेतु डीसी और एसी आपूर्ति किए गए कंट्रोल गियर्स हेतु नमूना (नमूनों) को यादृच्छिक रूप से चुनी गई खेपों में से यादृच्छिक आधार पर लिया जाएगा और समय–समय पर इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यथा चिन्हित उत्पाद पर लागू आईएस मानक से सीमित निर्धारित गैर विध्वंसकारी सुरक्षा मापदंडों के परीक्षण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजा जाएगा। इसके अलावा, ऐसी खेपों के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा केवल उन खेपों को निकासी दी जाएगी जहां यादृच्छिक रूप से चुने गए नमूने निर्धारित मापदंडों हेतु मानक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। तथापि, यदि चुने गए नमूने मानक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसी खेप को वापस भेजा जाएगा अथवा आयातक की लागत से नष्ट किया जाएगा।''

4. **इस अधिसूचना का प्रभावः** ''इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2012'' के तहत अधिसूचित एलईडी उत्पादों और एलईडी उत्पादों हेतु कंट्रोल गियर्स के यादृच्छिक रूप से नमूना लिए जाने को समर्थित करने के लिए आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 85 और 94 में एक नई नीतिगत शर्त जोडी गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/39/एएम–13/पीसी–2(क)/भाग II/ड–20555]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2020

No. 32/2015-2020

Subject: Insertion of Policy condition in Chapter 85 and 94 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 3181(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby adds a new policy condition in Chapters 85 and 94 of ITC(HS), 2017, Schedule-I (Import Policy).

2. A new policy condition is added as Policy Condition No. 7 in Chapter 85 and Policy Condition No. 1 in Chapter 94 of the ITC(HS), 2017, Schedule-I (Import Policy):

"For the LED products and DC or AC supplied control gears for LED modules as notified under the "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012", sample(s) will be picked up on random basis from the randomly selected consignments and will be sent to BIS recognized Labs for testing of limited defined non-destructive safety parameters from the IS standard applicable on the product, as identified by MeitY from time to time. Further, for such consignments, clearance would be given by Customs to only those consignments where the randomly selected sample has complied with the requirements of standard

for the defined parameters. However, if the sample drawn fails to meet the requirements of standard, such consignment will be sent back or will be destroyed at the cost of importer."

3. **Effect of the Notification:** A new Policy Condition is added in Chapter 85 and 94 of ITC(HS), 2017, Schedule-I (Import Policy) to enable random sampling of LED products and Control Gear for LED products notified under "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012".

This issues with the approval of Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 01/89/180/39/AM-13/PC-2[A]/Part-II/E-20555]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.17 20:18:03 +05'30'